न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 5/2018
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

अनवान

कैलाशचन्द्र पिता सोहन लाल चावत (महाजन) निवासी सरेवड़ी तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

––विपक्षी

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री जगदीश चन्द्र चौधरी
विपक्षी : पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट ::

निर्णय दिनांकः–3/12/19.

:: निर्णय::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम राजस्व गांव मेलोनीखेड़ा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में आराजी खसरा नं0 2683 रकबा 0.47 हे0 स्थित है प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 साथ पेश है।

यह कि प्रा0 पत्र की कलम संख्या एक में वाद ग्रस्त आराजी 2683 रकबा 0.47 हे0 में मुझ प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार सुरेशचन्द्र पिता अर्जुन लाल चावत निवासी सरेवड़ी, घेवरचन्द पिता भंवरलाल चावत निवासी सरेवड़ी, कैलाशचन्द्र पिता बदरी लाल पितलिया निवासी मुरोली, सुरेशचन्द्र पिता कालूराम डांगी निवासी डूंगला का यानि कि पांचों व्यक्तियों का वाद वर्णित आराजी नं0 1/6 हिस्सा निहित है। जो जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 में अंकित किया जावे।

यह कि गांव मेलोनीखेड़ा ककी आराजीयात का जो बन्दोबस्त के बाद नया रोटेशन बनाया गया जो संवत् 2070 से 2073 [illegible] गया इस रोटेशन में हम पांचो व्यक्तियों का 1/6 हिस्सा के बजाए 1/8 हि[illegible] कर दिया गया जो गलत है। जब कि पूर्व के रोटेशन में हम पांचों व्यक्तियों का 1/6 [illegible] जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 में अंकित किया गया जो सही है। परन्तु संवत् 2070 से 2073 का रोटेशन में गलत तरीके से [illegible] से हम पांचो व्यक्तियों का 1/8 हिस्सा अंकि[illegible] कर दिया जो धारा 1[illegible]0आर0एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:11:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

के तहत जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में हमारा हिस्सा 1/8 के बजाए 1/6 अंकित करवाना चाहते है। जिस के लिये पटवारी हल्का से जानकारी चाही तो पटवारी साहब ने उक्त आशय का एक प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवामें पेश कर प्रभावी आदेश प्राप्त करने पर ही संभव होना बताया है।

अतः साद प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गांव मैलोनीखेड़ा की आराजी सं0 2683 रकबा 0.47 हे0 में से मुझ प्रार्थी, सुरेशचन्द्र पिता अर्जुन लाल चावत, घेवरचन्द पिता भंवरलाल चावत, कैलाशचन्द्र पिता बदरी लाल पितलिया, सुरेशचन्द्र पिता कालूराम डांगी का 1/6 हिसस सवंत् 2050 से 2053 के रोटेशन में अंकन हैं उसी अनुसार सवंत् 2070 से 2073 के रोटेशन में 1/8 हिस्सा के बजाय 1/6 हिस्सा ही अंकन कराये जाने का आदेश प्रदान करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया जो सूचना होने के बावजूद विपक्षी पेरोकार उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस की गई। एवं पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 745 में विवादित आराजी सं0 2683 रकबा 0.47 हे0 नगरपालिका गंगापुर के नाम दर्ज रेकार्ड है। विवादित आराजियात नं0 2683 जरिये नामान्तरण संख्या 2599 दिनांक 14.07.2017 से नगरपालिका गंगापुर के नाम समपरिवर्तन (90क) से दर्ज हो चुकी है। अतः वाद खारिज योग्य है।

बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। चूंकि तहसीलदार सहाड़ा के जवाब अनुसार जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 745 में विवादित आराजी सं0 2683 रकबा 0.47 हे0 नगरपालिका गंगापुर के नाम दर्ज रेकार्ड है। विवादित आराजियात नं0 2683 जरिये नामान्तरण संख्या 2599 दिनांक 14.07.2017 से नगरपालिका गंगापुर के नाम समपरिवर्तन (90क) से दर्ज हो चुकी है। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:11:58 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner